भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3103

दिनांक 18.12.2025 को उत्तर के लिए नियत

तिरुपति में पशु आहार विनिर्माण करने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

3103. श्री मड्डीला गुरूमूर्ति:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि तिरुपति जिले में वर्तमान में कोई पशु आहार विनिर्माण इकाई नहीं है, जिसके कारण पशुपालकों को आदान लागत में वृद्धि और संभार संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) या किसी अन्य केंद्रीय योजना के तहत तिरुपति जिले में पशु आहार विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो बजट, समय-सीमा और कार्यान्वियन एजेंसी सहित प्रस्तावित पहल का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो पशुधन पर अत्यधिक निर्भरता और पशु आहार अवसंरचना की मांग के बावजूद तिरुपति जिले पर विचार न करने के क्या कारण हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क): तिरूपति जिले में कई पशु आहार आपूर्तिकर्ता और विनिर्माता एमएसएमई इकाइयां मौजूद हैं, जो विभिन्न पशु आहार उपलब्ध करा रहे हैं। इस मंत्रालय के उद्यम पंजीकरण पोर्टल के अंतर्गत पंजीकृत इन एमएसएमई इकाइयों का विवरण निम्नानुसार है:

एनआईसी कोड	**विवरण**	**तिरूपति जिले में पंजीकृत इकाइयों की संख्या**
10801	पशु आहार का विनिर्माण	23
10802	कुक्कुट आहार का विनिर्माण	22
10803	कुत्तों, बिल्लियों, पक्षियों, मछलियों आदि सहित पालतू जानवरों के लिए तैयार आहर का विनिर्माण	13
10809	अन्य पशु आहार एन.ई.सी. का विनिर्माण	24

(ख) से (घ): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र अर्थव्यवस्था का एक जीवंत क्षेत्र है। भारत सरकार तिरुपति जिले सहित देश में एमएसएमई के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न स्कीमों, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को बढ़ावा देती है। इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय के प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) स्कीम के अंतर्गत, बकरापेट, तिरुपति में एक पशु आहार विनिर्माण इकाई स्थापित की गई थी। पीएमईजीपी सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा प्रशासित एक

केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है। यह स्कीम खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। पीएमईजीपी वर्ष 2008-09 से प्रचालन में है और इसे 15वें वित्त आयोग चक्र अर्थात वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने की मंजुरी दी गई है।

*****